सत्र परीक्षण संख्या– 233/2007, सरकार प्रति रामतेज आदि।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–I,
(महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित वाद),बहराइच।

उपस्थितः **श्री बृजेश कुमार यादव, (उच्चतर न्यायिक सेवा),**
JO Code No. UP 1605
UPBH010002372007

सत्र परीक्षण संख्या 233/2007

सरकार ––––––अभियोगी

प्रति

1– रामतेज, उम्र 55 वर्ष, पुत्र पुत्तीलाल,
2– बिन्द्रा, पुत्र ननकऊ (मृतक दौरान विचारण)
3– सदानन्द उर्फ गुल्ले, उम्र 45 वर्ष, पुत्र मुन्नालाल,
निवासीगण ढोढ़ेपुरवा दा० मझौरा, थाना फखरपुर, जिला बहराइच। ––––अभियुक्तगण

अपराध संख्या– सी–01/2003,
धारा– 363, 366 भा०दं०सं०,
थाना– फखरपुर, जनपद बहराइच।

निर्णय

1. पुलिस थाना–फखरपुर, बहराइच द्वारा अभियुक्तगण रामतेज, बिन्द्रा, सदानन्द उर्फ गुल्ले व पिरेमा के विरुद्ध आरोप–पत्र अन्तर्गत धारा 363, 366 भा०दं०सं० प्रस्तुत करके अभियोजित एवं दण्डित किये जाने की याचना की गयी। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान लिया गया। मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा अभियुक्ता प्रेमा की अनुपस्थिति के कारण अभियुक्तगण रामतेज, बिन्द्रा व सदानन्द उर्फ गुल्ले की पत्रावली को पृथक कर मामले को सत्र परीक्षणीय पाते हुए सत्र न्यायालय में उपार्पित किया गया।

2. अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं०प्र०सं० में यह कथन किया गया है कि दिनाँक 25.02.2003 को समय करीब 07.30 बजे शाम वादी की लड़की पीड़िता आयु करीब 14 साल कुंये से पानी भरने गयी थी वापस नहीं लौटी काफी इन्तजार करने के बाद वादी तलाश करने लगा तो कुयें में वादी की लड़की की चुनरी मिली जिसमें ईंटा अद्धा बंधे थे। वादी बराबर तलाश करता रहा तो पता चला कि अभियुक्त तेजराम अभियुक्तगण बिन्द्रा प्रेमा व सदानन्द उर्फ गुल्ले की मदद से वादी की लड़की को बहला–फुसला कर आशनाई की नियत से भगा ले गया है।

3. वादी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं०प्र०सं० के आधार पर न्यायालय के निर्देशानुसार थाना फखरपुर, जनपद बहराइच में मु०अ०सं० सी–1/2003,

धारा 363, 366 भा०दं०सं० अंकित किया गया। विवेचक द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया गया, गवाहान का बयान अंकित किया गया तथा पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए बाद विवेचना अभियुक्तगण रामतेज, बिन्द्रा व सदानन्द उर्फ गुल्ले के विरुद्ध धारा 363, 366 भा०दं०सं० में आरोप–पत्र प्रेषित किया गया।

4. विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लिया गया। अभियुक्तगण को नकलें अन्तर्गत धारा 207 दं०प्र०सं० प्रदान की गयी।

5. अभियुक्तगण रामतेज, बिन्द्रा व सदानन्द उर्फ गुल्ले के विरूद्ध दिनांक 04.03.2010 को धारा 363, 366 भा०दं०सं० में आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार करते हुए परीक्षण की मांग की। दौरान विचारण अभियुक्त बिन्द्रा की मृत्यु हो जाने के कारण दिनाँक 01.11.2019 को अभियुक्त के विरुद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित की गयी है।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित किये जाने हेतु निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है–

क्रम संख्या	**साक्षीगण का नाम**	
1–	पी०डब्लू० 1	मनोहर (वादी मुकदमा)
2–	पी०डब्लू० 2	पीड़िता

7. अभियोजन द्वारा अपने साक्षीगण के माध्यम से निम्नलिखित अभियोजन प्रपत्रों को प्रमाणित कराया गया है–

प्रार्थना पत्र 156(3) दं०प्र०सं०	प्रदर्श क–1
बयान 164 दं०प्र०सं०	प्रदर्श क–2

अभियुक्तगण के अधिवक्ता द्वारा निम्नलिखित अभियोजन प्रपत्रों की प्रमाणिकता को स्वीकार किया गया है–

प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श क–3
जी०डी० कायमी	प्रदर्श क–4
नक्शा नजरी घटनास्थल	प्रदर्श क–5
नक्शा नजरी बरामदगी पीड़िता	प्रदर्श क–6
पूरक मेडिकल रिपोर्ट	प्रदर्श क–7
एक्स–रे रिपोर्ट	प्रदर्श क–8
आरोप पत्र	प्रदर्श क–9

उक्त के अतिरिक्त अभियोजन द्वारा अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन कथानक को गलत बताते हुए रंजिश के कारण झूंठा, फर्जी मुकदमा होना कहा गया है। अभियुक्तगण द्वारा अपने बचाव में कथन किया गया है कि चुनावी रंजिश के कारण गाँव में पार्टीबन्दी होने के कारण फर्जी परेशान करने की नियत से फँसाया गया है।

9. मैनें विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता व अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं न्यायालय के समक्ष उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया।

10. अभियोजन अधिकारी द्वारा बहस में यह कथन किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा पीड़िता को उसकी विधिक संरक्षकता से उसकी सम्मति के बिना उसके साथ अयुक्त सम्भोग करने के आशय से जबरदस्ती भगाकर ले जाया गया। वादी मुकदमा द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है। अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 363, 366 भा०दं०सं० का आरोप युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है।

11. खण्डनस्वरूप अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस में यह कथन किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गयी है। पीड़िता घटना के समय बालिग थी। पीड़िता द्वारा न्यायालय पर उपस्थित होकर अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 363, 366 भा०दं०सं० का आरोप युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है।

12. न्यायालय के समक्ष अवधार्य प्रश्न यह है कि क्या दिनांक 25.02.2003 को समय करीब 07.30 बजे शाम, बहद ग्राम मझौरा टेपरा, थाना फखरपुर, जिला बहराइच के अन्तर्गत अभियुक्त रामतेज ने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा मनोहर की पुत्री पीड़िता को उसकी विधिक संरक्षकता से बहला–फुसलाकर अथवा उसकी इच्छा के विरुद्ध, अयुक्त सम्भोग करने के आशय से अथवा विवाह करने के आशय से व्यहृत किया, इस प्रकार अभियुक्तगण द्वारा धारा 363, 366 भा०दं०सं० का अपराध किया गया है?

13. अवधार्य बिन्दु पर निष्कर्ष दिये जाने से पूर्व पत्रावली पर प्रस्तुत साक्षीगण के साक्ष्य का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है।

14. अग्रेतर चर्चा से पूर्व यह उल्लेख किया जाना समीचीन है कि भारतीय परिस्थितियों में **एक बात में मिथ्या तो सब बात में मिथ्या का सिद्धान्त** लागू नहीं होता है। ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय इस दायित्व के अधीन होता है कि वह भूसे के ढेर से सत्य के स्वीकार्य दाने पृथक करे। इस सम्बन्ध में निर्णयज विधियों का उद्धरण लिया जाना भी उचित प्रतीत होता है। **Kulvinder Singh Vs State of Punjab, AIR 2007 SC 2868** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि "Principle of false in one false in all, cannot be applied in "falsus in uno, falsus in omnibus" relation to deposition of a witness who has been found lying on a particular fact and whose remaining part of testimony is otherwise truthful. Even if major portion of evidence of a witness is found deficient but residue is sufficient to prove the guilt of the accused, notwithstanding the acquittal of number co–accused, conviction can be recorded of some accused persons. It

is duty of Court to shift grain from chaff." प्रतिपादित विधि सिद्धान्तों के आलोक में संगत विषय पर उभय पक्ष के तर्कों के संबंध में सर्वप्रथम यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि किसी आपराधिक घटना के साक्षीगण के साक्ष्य की विश्वसनीयता को परखने के लिए साक्षीगण को तीन प्रकृति अर्थात पूर्णतया विश्वसनीय साक्षी, अंशतः विश्वसनीय साक्षी एवं पूर्णतया अविश्वसनीय साक्षी के रूप में परिभाषित किया गया है। साक्ष्य की विश्वसनीयता को परखने के लिए घटनास्थल पर साक्षीगण की उपस्थिति, उनके साक्ष्य की सहजता, घटना के वर्णन, साक्षीगण के परिवेश एवं आचरण इत्यादि को विचार में लेना होता है।

15. अभियोजन की ओर से **पी०डब्लू० 1 के रूप में वादी मुकदमा मनोहर** को परीक्षित कराया गया है। वादी मुकदमा ने अपनी मुख्यपरीक्षा में यह कथन है कि घटना को लगभग 21 वर्ष हुए। घटना शाम के सात, साढ़े सात बजे की है। वादी की लड़की पीड़िता पानी भरने कुएँ पर गयी थी। उस समय उसकी उम्र 14 वर्ष थी। कुआँ वादी के घर से चार–छह फलाँग की दूरी पर था। जब वह वापस नहीं आयी तो वादी आवाज देकर पुकारा तो वह बोली नहीं। तब वादी कुआँ पर जाकर देखा और तलाश किया, तो देखा कि कुआँ पर वादी की लड़की पीड़िता की चुनरी ईंटा से बंधी हुई कुएँ से लटकी है, फिर वादी ने अपनी लड़की पीड़िता की काफी तलाश किया तो वह नहीं मिली। तब दूसरे दिन वादी को सुबह बैधे जो ढोठे पुरवा के निवासी हैं। उन्होंने बताया कि वादी की लड़की पीड़िता को तेजराम पुत्र बुद्धिलाल, बिन्द्रा पुत्र ननकऊ, बिन्द्रा का लगभग चार वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो गया है। बिन्द्रा की लड़की प्रेमा जिसकी शादी हो गयी। गुल्ले व सभी लोगों ने बहला–फुसलाकर वादी की लड़की को भगा ले गये थे। उन लोगों को सभी लोगों को वादी ने तेजराम के साथ में देखा था। जब वादी तेजराम के घर गया था, तो उस समय उनके घर पर कोई नहीं था। तब वादी घटना के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र थाने पर दिया था। कोई कार्यवाही न होने के बाद एस०पी० को प्रार्थना पत्र दिया। कोई कार्यवाही न होने पर न्यायालय द्वारा धारा 156(3) दं०प्र०सं० का प्रार्थना पत्र जरिए वकील मुकदमा लिखवाया था। प्रार्थना पत्र 156(3) संलग्न पत्रावली है। उसे पढ़कर साक्षी ने बताया कि यह वही प्रार्थना पत्र है जिस पर जरिए वकील वादी सी०जे०एम० के यहाँ प्रस्तुत कराया था। उस पर बने अपने नि० अंगूठा की पुष्टि की है, जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। दरोगा जी ने वादी से पूछताछ कर बयान लिया था।

वादी मुकदमा ने बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में यह कथन किया है कि घटना को करीब 22 वर्ष हुये हैं। वादी की लड़की पीड़िता गाँव में घर के बाहर पानी भरने गयी थी। वहाँ से रिश्तेदारी में बिना बताये चली गयी थी। वादी ने अपनी पुत्री की काफी तलाश किया नहीं मिली तो वादी ने लोगों के कहने पर रामतेज उर्फ तेजराम, बिन्द्रा व सदानन्द के विरुद्ध मुकदमा लिखवा दिया था। वादी की लड़की अपने घर अपने आप वापस आयी थी। पानी भरने की वजह से पीड़िता की उसकी माँ से कहासुनी हो गयी थी। पीड़िता की माँ ने उसको डाँटा था इसी वजह से वह बिना बताये रिश्तेदारी में चली गयी थी। गाँव के लोगों के कहने पर वादी ने मुकदमा लिखवा दिया। इससे पहले वादी का बयान हुआ था परन्तु आज जो बयान दे रहा है वह सही है, किसी के जोर दबाव में नहीं दे रहा है।

वादी मुकदमा ने अभियोजन पक्ष की ओर से की गयी पृच्छा में कथन किया है कि घटना के समय वादी की पुत्री 14 साल से अधिक थी। वादी की पुत्री से व उसकी माँ से कुँआ से पानी भरने की बात को लेकर कहासुनी हुई थी। जिससे वादी की पुत्री नाराज होकर रिश्तेदारी चली गयी थी। वादी ने अपनी पुत्री को काफी खोजा था। वह नहीं मिली तब पुरानी रंजिश व लोगों के कहने के आधार पर जरिये अदालत प्रार्थना पत्र धारा 156(3) दं०प्र०सं०

के आदेश पर मुकदमा लिखवाया था। बाद में पुत्री ने घर वापस आकर बताया कि वह नाराज होकर रिश्तेदारी चली गयी थी, उसे किसी ने भगाया नहीं था। मुल्जिमान वादी के पड़ोसी हैं। वर्तमान में सम्बन्ध अच्छे हैं। आना–जाना रहता है। वादी ने आगे कथन किया है कि यह कहना गलत है कि मुल्जिमानों को बचाने के लिये वह सही बयान न्यायालय पर नहीं दे रहा है।

16. अभियोजन द्वारा **पी०डब्लू० 2 के रूप में पीड़िता** को परीक्षित कराया गया है। पीड़िता ने अपने मुख्यपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि घटना को करीब 22 वर्ष हुए, पीड़िता अपने घर वालों को बिना बताए पानी भरने के बहाने कुँआ पर गयी थी और वहाँ से घर वालों को बिना बताये अपने रिश्तेदारी में चली गयी थी। घर वापस न आने पर पीड़िता के घर वालों माता पिता ने पीड़िता की काफी खोजबीन किया था, परन्तु पीड़िता के न मिलने पर लोगों के कहने व पुरानी रंजिश के आधार पर रामतेज व सदानन्द उर्फ गुल्ले के खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया था। मुल्जिमानों ने पीड़िता को भगाया नहीं था। पीड़िता का दरोगा जी ने बयान नहीं लिया था। पीड़िता का मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान हुआ था, जो संलग्न पत्रावली है। न्यायालय की अनुमति से खोला गया। पीड़िता को पढ़कर सुनाया तो पीड़िता ने उसमें लिखे हुए तथ्यों से इंकार करते हुए बताया कि वह बयान पीड़िता ने माता पिता व पुलिस के दबाव में दिया। पीड़िता ने उस पर लगे अपने निशानी अंगूठा की पुष्टि की, जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया।

पीड़िता ने अभियोजन पक्ष की ओर से की गयी जिरह में कथन किया गया है कि रामतेज पीड़िता के गाँव के बगल का रहने वाला था। उसको पीड़िता घटना के पहले से जानती है। घटना से पहले रामतेज व सदानन्द उर्फ गुल्ले से पीड़िता के पिता जी से पुरानी रंजिश के चलते पहले भी झगड़ा हो चुका है, जिसके कारण मुकदमेबाजी हुयी थी। मुल्जिमान ने पीड़िता के साथ कोई घटना कारित नहीं करी थी। घटना के समय पीड़िता की उम्र 18 वर्ष के करीब थी। पीड़िता को उसका बयान 161 दं०प्र०सं० पढ़कर सुनाया तो उसने इन्कार किया।

उपरोक्त साक्षी/पीड़िता को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के आग्रह पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इस प्रकार इस साक्षी/पीड़िता ने अपने साक्ष्य में अभिकथित घटना से पूर्णतया इन्कार किया है और अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित करने अथवा कथित घटना में अभियुक्तगण की संलिप्तता के तथ्य से इंकार किया है। इसलिये इस साक्षी/पीड़िता का साक्ष्य अभियोजन कथानक के सापेक्ष विश्वसनीय प्रकृति का साक्ष्य नहीं है और तात्विक अन्तरविरोधों से युक्त होने के कारण सम्पुष्टीकरण के बिना साक्षी के साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

17. **भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363** किसी व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण के लिए दण्ड का प्राविधान करती है तथा **भारतीय दण्ड संहिता की धारा 366** विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपहृत करने, अपहृत करने या उत्प्रेरित करने के लिए दण्ड का प्राविधान करती है।

18. धारा 363 भा०दं०सं० के आरोप के लिए यह आवश्यक है कि अभियोजन यह युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करे कि पीड़िता अगर लड़की है तो उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है तथा पीड़िता को अभियुक्तगण उसके विधिपूर्ण संरक्षकता से उसकी स्वेच्छा के बिना ले जाता है अथवा बहका कर ले जाता है।

सत्र परीक्षण संख्या– 233/2007, सरकार प्रति रामतेज आदि।

<u>घटना के समय पीड़िता की उम्र के निर्धारण के संबन्ध में विश्लेषण</u>

19. वादी मुकदमा द्वारा अपनी तहरीर में यह कथन किया गया है कि दिनाँक 25.02.2003 को समय करीब 07.30 बजे शाम वादी की लड़की पीड़िता आयु करीब 14 साल कुंये से पानी भरने गयी थी, वापस नहीं लौटी। वादी द्वारा तलाश करने पर पता चला कि अभियुक्त तेजराम अभियुक्तगण बिन्द्रा प्रेमा व सदानन्द उर्फ गुल्ले की मदद से वादी की लड़की को बहला–फुसला कर आशनाई के नियत से भगा ले गया है।

20. तहरीर के परिशीलन से स्पष्ट है कि तहरीर में वादी मुकदमा द्वारा पीड़िता की उम्र 14 साल बतायी गयी है। पी०डब्लू० 1 वादी मुकदमा मनोहर द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में भी पीड़िता की उम्र घटना के समय 14 वर्ष बतायी गयी है। पीड़िता द्वारा अपने साक्ष्य में घटना के समय उसकी उम्र लगभग 18 वर्ष होने का कथन किया गया है। पत्रावली पर अभियोजन द्वारा पीड़िता के शैक्षिक योग्यता के सम्बन्ध में कोई भी प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये हैं। अतः ऐसी परिस्थिति में न्यायालय को पत्रावली पर पीड़िता की उम्र के सम्बन्ध में मेडिकल प्रपत्रों के आधार पर ही यह निर्धारित करना है कि घटना के समय पीड़िता की उम्र क्या था।

21. पत्रावली पर संलग्न पूरक मेडिकल रिपोर्ट जिसकी प्रमाणिकता को अभियुक्तगण द्वारा स्वीकार किया गया है तथा जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया है। उपरोक्त रिपोर्ट दिनाँक 01.07.2003 की है जिसमें पीड़िता की उम्र लगभग साढ़े सत्रह वर्ष बतायी गयी है। पत्रावली पर पीड़िता की उम्र के सम्बन्ध में कोई अन्य साक्ष्य अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी मुकदमा द्वारा घटना की तिथि 25.02.2003 को होना बताया गया है। मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श क–3 से स्पष्ट है कि दिनाँक 01.07.2003 को पीड़िता की उम्र लगभग साढ़े सत्रह वर्ष थी। इससे स्पष्ट होता है कि जब घटना कारित हुई उस समय पीड़िता की उम्र 18 साल से कम थी।

22. न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह है कि क्या मात्र इसी आधार पर कि घटना के समय पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम है तथा पीड़िता अभियुक्त के साथ गयी, यह माना जायेगा कि अभियुक्त द्वारा धारा 363 भा०दं०सं० का अपराध किया गया है अथवा नहीं।

23. इस संबन्ध में **S. Varadarajan Vs State of Madras (A.I.R. 1965, S.C.) 942** की विधि व्यवस्था का उल्लेख करना समीचीन पाता हूँ, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि There is distinction between taking and allowing a minor to accompany a person. The two expressions are not synonymous though we would like to guard ourselves from laying down that in no conceivable circumstance can the two be regarded as meaning the same thing for the purposes of s. 361 of the Indian Penal code. We would limit ourselves to a case like the present where the minor alleged to have been taken by the accused person left her father's protection knowing and having capacity to know the full import of what she was doing voluntarily joins the accused person. In such a case we do not think that the accused can be said to have taken her away from the keeping of her lawful guardian. Something more has to be shown in a case of this kind and that is some kind of inducement held out by the accused person or an active participation by him in the formation of the intention of the minor to leave the house of

the guardian.

24. इसी प्रकार **Sanjay Kumar vs State Of U.P. Criminal appeal no. 3175/2017** में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि Word 'entice' involves an idea of inducement or allurement. One does not entice another unless the latter attempts to do a thing which she or he would not otherwise do.

25. प्रस्तुत प्रकरण में पी०डब्लू० 1 वादी मुकदमा मनोहर द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है, परन्तु जिरह में स्वंय यह स्वीकार किया गया है कि घटना को करीब 22 वर्ष हुये हैं। वादी की लड़की पीड़िता गाँव में घर के बाहर पानी भरने गयी थी। वहाँ से रिश्तेदारी में बिना बताये चली गयी थी। वादी ने अपनी पुत्री की काफी तलाश किया नहीं मिली तो वादी ने लोगों के कहने पर रामतेज उर्फ तेजराम, बिन्द्रा व सदानन्द के विरुद्ध मुकदमा लिखवा दिया था। वादी की लड़की अपने घर अपने आप वापस आयी थी। पुत्री ने घर वापस आकर बताया कि वह नाराज होकर रिश्तेदारी चली गयी थी, उसे किसी ने भगाया नहीं था। पानी भरने की वजह से पीड़िता की उसकी माँ से कहासुनी हो गयी थी। पीड़िता की माँ ने उसको डाँटा था इसी वजह से वह बिना बताये रिश्तेदारी में चली गयी थी। गाँव के लोगों के कहने पर वादी ने मुकदमा लिखवा दिया।

26. पी०डब्लू० 2 पीड़िता द्वारा मुख्य परीक्षा में ही अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है और यह कथन किया गया है कि घटना को करीब 22 वर्ष हुए, पीड़िता अपने घर वालों को बिना बताए पानी भरने के बहाने कुँआ पर गयी थी और वहाँ से घर वालों को बिना बताये अपने रिश्तेदारी में चली गयी थी। घर वापस न आने पर पीड़िता के घर वालों माता पिता ने पीड़िता की काफी खोजबीन किया था, परन्तु पीड़िता के न मिलने पर लोगों के कहने व पुरानी रंजिश के आधार पर रामतेज व सदानन्द उर्फ गुल्ले के खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया था। मुल्जिमानों ने पीड़िता को भगाया नहीं था। पीड़िता द्वारा जिरह में भी यह कथन किया गया है कि रामतेज पीड़िता के गाँव के बगल का रहने वाला था। उसको पीड़िता घटना के पहले से जानती है। घटना से पहले रामतेज व सदानन्द उर्फ गुल्ले से पीड़िता के पिता जी से पुरानी रंजिश के चलते पहले भी झगड़ा हो चुका है, जिसके कारण मुकदमेबाजी हुयी थी। मुल्जिमान ने पीड़िता के साथ कोई घटना कारित नहीं करी थी।

27. अतः उपरोक्त तथ्य के साक्षियों के बयानों से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि अभियोजन यह साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा पीड़िता को उसकी विधिपूर्ण संरक्षकता से बहका कर अथवी उसकी इच्छा के विरुद्ध ले जाया गया है।

28. ऐसी परिस्थिति में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 363 भा०दं०सं० का अपराध युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है। जहाँ तक धारा 366 भा०दं०सं० के अपराध का संबन्ध है, न्यायालय के विचार में अभियोजन धारा 363 भा०दं०सं० का आरोप साबित करने में असफल रहा है अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 366 भा०दं०सं० का आरोप भी साबित नहीं होता है।

<u>अवधार्य बिन्दु के विश्लेषण का सार।</u>

29. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तथ्य के साक्षीगण द्वारा पूर्ण रूप से अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। पीड़िता द्वारा अपने साक्ष्य में अपने पिता

तथा पुलिस वालों के दबाव में अभियुक्तगण के विरुद्ध बयान देने का कथन किया गया है। अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 363, 366 भा०दं०सं० का आरोप युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः न्यायालय के मत में अभियुक्तगण रामतेज व सदानन्द उर्फ गुल्ले को सन्देह का लाभ देते हुए धारा 363, 366 भा०दं०सं० के आरोप से दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

a– सत्र परीक्षण संख्या 233/2007, सरकार बनाम रामतेज आदि, अपराध संख्या सी–1/2003, थाना फखरपुर, जनपद बहराइच के मामले में अभियुक्तगण रामतेज व सदानन्द उर्फ गुल्ले को धारा 363, 366 भा०दं०सं० के आरोप से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

b– अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनके जमानतनामे एवं व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

c– अभियुक्तगण द्वारा धारा 437(ए) दं०प्र०सं० में विहित उपबन्धों के अनुपालन में व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो–दो प्रतिभू प्रस्तुत किये गये हैं। अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि इस निर्णय के विरुद्ध अपील योजित होने की दशा में, वह माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा विहित तिथि, समय व स्थान पर उपस्थित होगें। अपील न होने की दशा में छः माह की अवधि समाप्त होने के उपरान्त उक्त बन्धपत्र एवं जमानतमाने स्वतः निरस्त हो जायेंगे एवं तद्नुसार प्रतिभूगण उत्तरदायित्व से उन्मोचित हो जायेंगे।

(बृजेश कुमार यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–I,
(महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित वाद), बहराइच।
JO Code No. UP 1605

दिनांकः 23.06.2026

निर्णय एवं आदेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उदघोषित किया गया।

(बृजेश कुमार यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–I,
(महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित वाद), बहराइच।
JO Code No. UP 1605

दिनांकः 23.06.2026